

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 (फाल्गुन 30, 1944)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री के.पी. सिंह कक्काजू, सदस्य**, शिवपुरी केन्द्रीय सहकारी बैंक में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य**, जावरा नगर में रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज का कार्य अपूर्ण होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य**, प्रदेश के अनेक जिलों में कुत्तों द्वारा काटने की घटनाओं की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) **इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य**, नरयावली क्षेत्र के गांवों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) **श्री संजय यादव, सदस्य**, जबलपुर की कृषि उपज मंडी शहपुरा भिटोनी में अव्यवस्था की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) **श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य**, छतरपुर सहकारी बैंक में सहायक प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) **श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य**, प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारियों को इलाज की सुविधा न मिलने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य**, मुरैना जिले के जौरा क्षेत्र राजस्व रिकार्ड में विसंगति होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) **श्री रामपाल सिंह, सदस्य**, रायसेन जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पात्र हितग्राहियों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) **श्री आरिफ अक्रील, सदस्य**, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द किये जाने की ओर राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) **श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य**, महिदपुर क्षेत्र की झारड़ा तहसील के अंतर्गत अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य**, अनूपपुर जिले की अपर सिंचाई परियोजना बांध शोभापुर को निरस्त किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) **श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य**, खाचरौद उपजेल में कैदी की मौत होने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) **सर्वश्री कमलेश जाटव, राकेश मावई, सदस्य**, प्रदेश के निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त किये जाने की ओर राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) **श्री बापूसिंह तंवर, सदस्य**, राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में अनिवार्य सम्पत्ति का पुनर्निर्माण न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) **श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य**, प्रदेश में कृषकों की उपज की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटों से न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य**, मुरैना नगर क्षेत्र का गंदा पानी क्वारी नदी में छोड़े जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) **श्रीमती कल्पना वर्मा, सदस्य**, सतना, रीवा, कटनी जिले में राइस मिलों द्वारा अमानक चावल दिये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(19) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य**, धार एवं रतलाम जिले में रोजड़ों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री सुनील उईके, सदस्य**, छिन्दवाड़ा जिले के जुन्नारदेव अंतर्गत ग्राम झालमउ से पिल्हावाड़ी होते हुए पोर्टईआम तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री रामलाल मालवीय, सदस्य**, उज्जैन जिले के धहिया ब्लाक के ग्राम सुसारखेड़ा एवं मोजीपुरा में सड़क का निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य**, भोपाल शहर के कोलार तिराहे से मैनिट चौराहे तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य**, दमोह जिले के जबेरा अंतर्गत ग्राम डेरो में दुगानी से डेरा मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री सुरेश राजे, सदस्य**, ग्वालियर जिले के ग्राम गिजोरा से धमनिका तक रोड का निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य**, विदिशा जिले की तहसील ग्यारसपुर अंतर्गत ग्राम चीकली में बसाहट क्षेत्र में सीमेन्ट कांक्रीट सड़क का निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य**, पन्ना जिले के ग्राम वगड़ौर सलैया व सिमरी के मध्य पतने नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री अनिरुद्ध 'भाधव' मारू, सदस्य**, नीमच जिले के मनासा अंतर्गत पालड़ा से छोटा पालड़ा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौघा', सदस्य**, मुरैना जिले के जौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत सगौरिया एवं परसोटा में L.M.C. नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य**, अलीराजपुर जिले के वि.ख. कट्टीवाड़ा में ग्राम चांदपुर के किकरी फलिया में पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(11) **श्री हर्ष यादव, सदस्य**, सागर जिले के केसली अंतर्गत नादिया-सहजपुर मार्ग पर बरांज नदी पर स्टॉप डेम का निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य**, दमोह जिले के पटेरा अंतर्गत कोटा से मगरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(13) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य**, धार जिले के मनावर अंतर्गत ग्राम पंचायत झिर्वी के ग्राम बिलीपुरा में सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(14) **श्री नीरज विनोद दीक्षित, सदस्य**, छतरपुर जिले के महाराजपुर अंतर्गत ग्राम चन्दौरा में दुर्घटना को देखते हुए घरों की छतों से बिजली लाईन हटाये जाने,

(15) **श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य**, रतलाम जिले के सैलाना अंतर्गत सरवन रोड पर स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(16) **श्री निलय विनोद डागा, सदस्य**, बैतूल जिले में कोलगांव से बड़ोरी तक मार्ग स्वीकृत कराये जाने,

(17) **श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, सदस्य**, देवास जिले के ग्राम करनावद एवं चापड़ा में 02 बड़े कस्बों को जल जीवन मिशन से जोड़े जाने,

(18) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य**, नीमच जिले के ग्राम छांयन से उमाहेड़ा तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,

(19) **श्री आरिफ मसूद, सदस्य**, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 19 मस्जिद नस्तरन बानों के पीछे वाली गली में नाली एवं सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य**, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ अंतर्गत पीपरटोला, छीरपानी एवं अन्य ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने,

- (21) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के पिपलौदा अंतर्गत ग्राम सुजापुर से भाटखेड़ी-तालीदाना मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (22) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम छापीहेड़ा-नलखेड़ा मार्ग से कालापीपल एवं अन्य ग्रामों की सड़क निर्माण कराये जाने,
- (23) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत लोनापठार से बाबाढाना तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (24) श्री विक्रम सिंह राणा, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम कुण्डालिया डेम परियोजना अंतर्गत नहर परियोजना में वि.ख. सुसनेर के छूटे हुए गांवों को शामिल किये जाने,
- (25) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र का नियमित रूप से संचालन कराये जाने,
- (26) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर शहर के राजीव नगर वार्ड में गजानन अखाड़े से पं. रविशंकर स्कूल के सामने तक नाली निर्माण कराये जाने,
- (27) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर अंतर्गत झारड़ा में बायपास रोड की स्वीकृति प्रदान करने,
- (28) सुश्री चंद्रभागा किराड़े, सदस्य, बड़वानी जिले के पलसूद रोड से ग्राम सिदड़ी होते हुए संगई मोहड़ी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (29) श्री रामचंद्र दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ब्यावरा अंतर्गत ग्राम झरखेड़ा में सीमेन्ट कांक्रीट रोड के आस-पास नाली का निर्माण कराये जाने,
- (30) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के नरयावली अंतर्गत ग्राम बिहारीपुरा-पृथ्वीपुर-वनगुवां मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने,
- (31) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम रहली से देवरीकलां के बीच बारूरेवा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,
- (32) श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य, खरगोन जिले के भगवानपुरा अंतर्गत ग्राम श्रीखण्डी से सिलोटिया फाटा मुख्य सड़क तक डामरीकृत मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (33) श्री बापू सिंह तंवर, सदस्य, राजगढ़ जिला मुख्यालय की प्राचीन छोटी पुलिया के स्थान पर बड़े पुल का निर्माण कराये जाने,
- (34) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरौद अंतर्गत नागदा गारमेन्ट कॉलोनी दड़िया स्टाप डेम से नायन स्टाप डेम तक चंबल नदी के किनारे सीमेन्ट कांक्रीट रोड का निर्माण कराये जाने, के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. वक्तव्य.

श्री इन्दर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्रमांक 163) एवं दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्रमांक 289) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित
समय

6. वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

1 घण्टा
30 मि.
(शेष 1 घण्टा)

(1) मांग संख्या – 24 लोक निर्माण कार्य
मांग संख्या – 56 कुटीर एवं ग्रामोद्योग.

1 घण्टा

(2) मांग संख्या – 16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
मांग संख्या – 23 जल संसाधन.

1 घण्टा

(3) मांग संख्या – 10 वन.

1 घण्टा

(4) मांग संख्या – 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.

1 घण्टा
30 मि.

(5) मांग संख्या – 3 गृह
मांग संख्या – 5 जेल
मांग संख्या – 28 राज्य विधान मण्डल
मांग संख्या – 29 विधि और विधायी कार्य.

1 घण्टा

(6) मांग संख्या – 12 ऊर्जा.

**निर्धारित
समय**

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 30 मि. | (7) मांग संख्या – 11 | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन . |
| 1 घण्टा
30 मि. | (8) मांग संख्या – 22 | नगरीय विकास एवं आवास. |
| 30 मि. | (9) मांग संख्या – 33
मांग संख्या – 49 | जनजातीय कार्य
अनुसूचित जाति कल्याण. |
| 1 घण्टा | (10) मांग संख्या – 13 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास. |
| 1 घण्टा
30 मि. | (11) मांग संख्या – 8
मांग संख्या – 36 | भू- राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय
परिवहन. |
| 30 मि. | (12) मांग संख्या – 18
मांग संख्या – 25 | श्रम
खनिज साधन. |
| 30 मि. | (13) मांग संख्या – 42
मांग संख्या – 52 | भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास
चिकित्सा शिक्षा. |
| 1 घण्टा | (14) मांग संख्या – 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण. |
| 1 घण्टा
30 मि. | (15) मांग संख्या – 30
मांग संख्या – 40 | ग्रामीण विकास
पंचायत. |
| | (16) मांग संख्या – 6
मांग संख्या – 7
मांग संख्या – 31 | वित्त
वाणिज्यिक कर
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी. |
| 30 मि. | (17) मांग संख्या – 14
मांग संख्या – 34 | पशुपालन एवं डेयरी
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण. |
| 30 मि. | (18) मांग संख्या – 35
मांग संख्या – 46 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी. |
| 30 मि. | (19) मांग संख्या – 26
मांग संख्या – 37
मांग संख्या – 51 | संस्कृति
पर्यटन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व. |
| 30 मि. | (20) मांग संख्या – 17
मांग संख्या – 21 | सहकारिता
लोक सेवा प्रबन्धन. |
| 1 घण्टा | (21) मांग संख्या – 44 | उच्च शिक्षा. |
| 30 मि. | (22) मांग संख्या – 9
मांग संख्या – 4 | नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
पर्यावरण. |
| 1 घण्टा | (23) मांग संख्या – 43
मांग संख्या – 47 | खेल और युवा कल्याण
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार. |
| 30 मि. | (24) मांग संख्या – 50 | उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण. |
| 1 घण्टा | (25) मांग संख्या – 27 | स्कूल शिक्षा. |
| 30 मि. | (26) मांग संख्या – 15
मांग संख्या – 53
मांग संख्या – 54 | घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग
अल्पसंख्यक कल्याण
पिछड़ा वर्ग कल्याण. |
| 30 मि. | (27) मांग संख्या – 38 | आयुष. |

निर्धारित
समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा (4) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (5) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :

दिनांक : 20 मार्च, 2023

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.